न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 02/2019 (डूंगरपुर डिक्री)

धूला पिता पूंजा मीणा, निवासी ढूँढावाडा (मृतक) के विधिक वारिसान :–

1. मोहन पिता धुला डामोर मीणा, निवासी ढूँढावाडा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. नारायण पिता धुला डामोर मीणा, निवासी ढूँढावाडा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. किताप पिता धुला डामोर मीणा, निवासी ढूँढावाडा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. अजमल पिता धुला डामोर मीणा, निवासी ढूँढावाडा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती मणी पत्नी धुला डामोर मीणा, निवासी ढूँढावाडा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. श्रीमती सविता पुत्री धुला डामोर पत्नी शंकर डामोर मीणा, निवासी सामाओडा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. श्रीमती शारदा पुत्री धुला डामोर पत्नी रणछोड पगी मीणा, निवासी मेदडा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती शान्ति पुत्री धुला डामोर पत्नी मसूर मीणा, निवासी चोतरा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. खातु पिता रामा मीणा, निवासी ढूँढावाडा (मृतक) के विधिक वारिसान :–

1/1. मुकेश पिता खातु डामोर मीणा, निवासी शीथल, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2. श्रीमती जनु पुत्री खातु डामोर मीणा पत्नी प्रताप डामोर, निवासी शीथल, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/3. श्रीमती मंजु पुत्री खातु डामोर मीणा, निवासी शीथल, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/4. श्रीमती होनडी पुत्री खातु डामोर मीणा पत्नी रमण मीणा, निवासी मेदला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/5. श्रीमती कासी पत्नी खातु डामोर मीणा, निवासी शीथल, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/6. श्रीमती रूपली पुत्री खातु डामोर मीणा, निवासी शीथल, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:29 IST
Reason: SelfAttested

2. भगा पिता रामा मीणा, निवासी ढूँढावाडा (मृतक) के विधिक वारिसान :–

2/1. श्रीमती कुशाली बेवा भगा तराल मीणा, निवासी शीथल, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/2. श्रीमती गंगा पुत्री भगा तराल मीणा पत्नी प्रताप पिता गोबरा खांट मीणा, निवासी झरनी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/3. श्रीमती काली पुत्री भगा तराल मीणा पत्नी तीता तराल मीणा, निवासी रामसोर (पीठ), तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/4. श्रीमती कमु पुत्री भगा तराल मीणा पत्नी भाथी खांट मीणा, निवासी शीथल, फला कावडिया, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/5. श्रीमती बोडी पुत्री भगा तराल मीणा पत्नी चन्दु खोमा मालीवाडा मीणा, निवासी गोठीपुरा (झलाप), तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर

3. मगन पिता कालिया मीणा, निवासी बांसीया, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

4. जयसिंह पिता लक्ष्मण डामोर, निवासी सरथुना, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

5. भूमिधारी तहसीलदार, सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

6. पटवारी, पटवार हल्का झलाप, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा दि0
22.02.2019 प्रकरण सं. 100/2012

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री अल्लानूर मंसूरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरेश जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 08–08–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी नंबर 553/1 रकबा 13 बीघा भूमि ग्राम ढूंढावाडा में स्थित है, जिस पर वादी 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अभी 5 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने बताया कि वह उक्त भूमि के सह खातेदार बन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:29 IST
Reason: SelfAttested

गये हैं, इस पर वादी ने खाते की नकल व विक्रय पत्र की नकल निकलवाई तो उक्त तथ्य की जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना वादी की जानकारी के वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर दिया है, जो कानून अवैध होकर वादी के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। अतः वादी को विवादित आराजी नंबर 553/1 रकबा 13 बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे तथा उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 3 तनकियां कायम की गयी तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 22–02–2019 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा दिनांक 11–03–2019 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता नरेश जोशी उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि दौराने वाद खातु की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उसके वारिसान को कायम मुकाम बनाये मृतक के विरूद्ध डिक्री जारी कर दी, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोन्डेन्टगण ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिससे विवादित आराजी पर उनका कब्जा साबित होता हो, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र कयासी आधारों पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का विवेचन करते हुए तनकीवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में विवादित आराजी नंबर 553/1 रकबा 13 बीघा भूमि में वादी/अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी के 1/3 हिस्से का सहखातेदार होने से उसके द्वारा अपने 1/3 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 11–10–2012 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में किया जाना विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में किये गये विक्रय को विधि सम्मत मानते हुए वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 22–02–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:29 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

मृतक धूला के बजाय मोहन पिता धूला डामोर मीणा, निवी ढूँढावाडा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य *बनाम* **मृतक खातु के बजाय मुकेश पिता खातू डामोर मीणा, निवासी शीथल, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**02/2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सीमलवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**02**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अल्लानूर मंसूरी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरेश जोशी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 22–02–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**08**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:29 IST
Reason: SelfAttested